# कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :– 1037 /15–1, दिनांक, इलाहाबाद, सितम्बर, 26 2018।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद इलाहाबाद में एन0एच0–2, जी0टी0 राड (बेगम बजार से चौफटका) किमी0 185.8000 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला–2019 के अन्तर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 6.418 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक–8B/UP/06/70/2018/FC/423, दिनांक 19–09–2018 तथा आपका पत्रांक सं0–640/11–सी–एफ.पी./यू.पी./रोड/34116/2018, दिनांक 20–09–2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 963/5–8, दिनांक 22–09–2018 द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19–09–2018 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :–

| Condition No | Condition | Status of Compliance |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | गूगल इमेज से यह प्रतीत होता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि बंजर एवं पथरीली स्थल पर प्रस्तावित की गयी है। अतः वृक्षारोपण की उपयुक्तता हेतु चयनित स्थल की सुपुष्टि वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कर भेजी जाए अथवा अन्य रोपण स्थल पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव भेजा जाए। | विषयगत प्रकरण में 6.418 हे0 भूमि के बदले 12.8360 हे0 भूमि शंकरगढ़ रेंज के गोल्हैया वन ब्लाक स्थान पर प्रस्तावित की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी इलाहाबाद के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्र का भू–दृश्य (Land Scape) पठारी है। कहीं–कहीं भूमि पथरीली है, परन्तु आधिकांश भूमि मृदा आच्छादित है। यह भूमि ढलान वाले क्षेत्रों में असम्मुख बोना नाली खोद कर बीज बुआन पद्धति से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।<br>इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है कि "प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रभावित क्षेत्रफल 6.4180 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शंकरगढ़ रेंज स्थित गोल्हैया वन ब्लाक की क्षेत्रफल 12.8360 हे0 अवनत वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उक्त भूमि समस्त प्रकार से अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है।" |

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या संस्तुति सहित आपकी सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

संख्या :– 1037 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद को उनको उपरोक्त सन्दर्भित पत्र क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।